न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 7/24 सन् 2024
जीसीएमएस संख्या 2024/74
बउनवानी:—

1. सीताराम पुत्र गंगाधर मीना निवासी आंसल गांव पोस्ट उखलाना, उनियारा जिला टोंक
2. चेतराम पुत्र सीताराम मीना निवासी आंसल गांव पोस्ट उखलाना, उनियारा जिला टोंक
3. विक्रम पुत्र सीताराम मीना निवासी आंसल गांव पोस्ट उखलाना, उनियारा जिला टोंक
4. बोलताराम पुत्र सावंलराम मीना निवासी आंसल गांव पोस्ट उखलाना, उनियारा जिला टोंक

बनाम

1. कजोड पुत्र श्योचन्दा मीना निवासी आंसल गांव पोस्ट उखलाना, उनियारा जिला टोंक
2. गोविन्द पुत्र श्योचन्दा मीना निवासी आंसल गांव पोस्ट उखलाना, उनियारा जिला टोंक
3. जमना उर्फ जमनालाल पुत्र श्योचन्दा मीना नि0आंसल गांव पो0उखलाना, उनियारा,टोंक
4. बदरी पुत्र श्योचन्दा मीना निवासी आंसल गांव पोस्ट उखलाना, उनियारा जिला टोंक

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 29/2023 अन्तर्गत धारा 183बी, मे पारित आदेश दिनांक 13.5.2024 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट,
2. श्री जगन्नाथ चौधरी वकील रेस्पो.

दिनांक 27.5.2025

—: निर्णय :—

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2023 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 13.5.2024 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि तहत न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीएक्ट के तहत रेस्पो0 ने अपीलान्ट के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि ख0न0 244 रकबा 0.54 है0 किस्म बारानी 3 स्थित ग्राम रूपनगर तहसील चौथ का बरवाडा स्थित है जिसपर अपीलान्ट द्वारा गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया है अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा सम्भलाया जावे। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर बाद तलबी मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी गरडवास को दिनांक 15.9.2023 को लिखा गया तथा रेस्पो0 द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये। तत्पश्चात उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर दिनांक 13.5.2024 को कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व तरीके से पारित कर दिया इसलिए उक्त निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त रहकर लगातार आज दिनांक तक लाभान्वित होते चले आ रहे है। उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व वास्ता नही है। तहत न्यायालय ने बिना मौका कब्जा रिपोर्ट लिये उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी गोर नही किया है कि रेस्पो. मूल रूप से ग्राम चकेरी के निवासी है जो आसल गांव के रहने वाले है तथा हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 20.9.2023 को बनायी गयी है उस पर भी अपीलान्ट के उक्त आराजीयात मे उडद की फसल काश्त होने तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त फसल को काटने का तथ्य अंकित किया है। इस बात पर गोर किये विना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है जो निरस्तनीय है। तहत न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह कथन तो रेस्पो. द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:52 IST
Reason: SelfAttested

.....(1).....

जिला कलेक्टर

किया गया है कि गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण किया है लेकिन अतिक्रमण किस दिनांक को किया गया है यह अंकित नही किया है। इसका सबसे बडा प्रमाण प्रथम दृष्टया तहत न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय उक्त भूमि का 1/4–1/4 हिस्सा सहखातेदारी मे दर्ज होना अंकित किया है लेकिन उनका एक मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे नाम अंकित है। रेस्पो0 या उनके पूर्वजो ने कभी भी उक्त आराजी पर काश्त नही की बल्कि इस आराजीयात पर अपीलान्टस सदैव से काबिज काश्त रहे है, तथा 183 बी आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही है जिसके द्वारा किसी प्रकार के हक व अधिकार रेस्पो0 को नही मिल सकते है अपने हक व अधिकारो के लिये सक्षम न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलान्टस को उक्त आराजीयात से बेदखल करने के उद्देश्य से सम्पादित की गयी है जो कि न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टस ने इसी गांव के लोगो के बयान करवाये है जबकि रेस्पो0 ने अपने रिश्तेदारो के बयान करवाये है। रेस्पो0 ने यह नही बताया कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किस दिनांक को कब्जा किया है। उपरोक्त तथ्यों पर गोर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जो विधिविरूद्व है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि हम रेस्पो0 की भूमि पर अपीलान्टगण का अतिक्रमण होने के कारण तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा बेदखली की कार्यवाही की गयी है। जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने की दिनांक बताया जाने की कोई आवश्यकता नही है। उक्त भूमि को लेकर दिनांक 19.10.2024 को अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. संख्या 1 के पुत्र व पुत्रवधु के साथ मारपीट की गयी जिसकी एफ.आई.आर दर्ज करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि वाके ग्राम रूप नगर की विवादित भूमि आराजी ख0न0 244 रकबा 0.54 है0 तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 13.5.2024 के मुताबिक रेस्पो0 की खातेदारी भूमि है इस तथ्य को प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा भी विवाद नही किया गया है। इस भूमि पर अपीलान्ट का अनाधिकृत रूप से कब्जा होने के कारण उनको बेदखल करवाने हेतु रेस्पो0 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त है। अतः आदेश जैर अपील से तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा रेस्पो0 की खातेदारी भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:52 IST
Reason: SelfAttested